शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 04.09.2024

थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा महिला की गला दबा कर हत्या कर उसे फंदे पर लटकाकर आत्महत्या का रुप देने वाली वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशनुसार, श्री मनोज कुमार अवस्थी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व श्री पंकज पंत, क्षेत्राधिकारी पुंवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा महिला की गला दबा कर हत्या कर उसे फांदे पर लटकाकर आत्महत्या का रुप देने वाले बांछित महिला अभियुक्ता को किया गिरफ्तारः-

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 01/02.09.2024 को रात्रि को वादिनी कु0 सरोजनी पुत्री रामप्रसाद नि0 लखनापुर थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर द्वारा मय हमराहीगण के थाना पुवायाँ पर आकर एक तहरीर दाखिल कर मु0अ0सं0 584/2024 धारा 191(2)190/115(2)/108 बीएनएस बाबत अभियुक्त सुरजीत द्वारा वादिनी की माता को अपने साथ रखने मना कर पर अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के साथ मारपीट करना जिससे वादिनी की माता बहुत परेशान थी तथा उक्त लोगों की मारपीट से आहत होकर फांसी लगाकर आत्म हत्या कर लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया विवेचना उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी। दौराने विवेचना उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की घर मे घुसकर हत्या कर उसे आत्महत्या का रुप देने के उद्देश्य से फांसी के फंदे पर टांगने के साक्ष्य प्राप्त होने पर अभियोग मे धारा 103(1)/ 3(5)/ 238/333 बीएनएस की वृद्धि कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा स्वंय ग्रहण की गयी तथा दिनांक 03.09.2024 को दो अभियुक्तगण सुरजीत व राजेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

आज दिनांक 04.09.2024 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम को जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि आपके मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्ता मुन्नीदेवी ग्राम लखनापुर की तुलाराम बाबा मन्दिर ग्राम बडागांव पर खडी है,कही जाने की फिराक में आने-जाने वाले वाहनो को हाथ देकर रुकने का ईशारा कर रही है जल्दी की जाये तो पकडी जा सकती है। मुखबिर की सूचना पर हम पुलिस वालो ने मुखविर द्वारा बताय स्थान पर महिला के पास जाकर म0का0 जुली चौधरी द्वारा महिला से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्रीमती मुन्नीदेवी पत्नी स्व0 जानकी निवासी ग्राम लखनापुर थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 50 वर्ष बताया । यही मुकदमा हाजा का वाछिंत अभियुक्ता है अतः इसको कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 11.05 बजे महिला आरक्षी द्वारा हिरासत पुलिस मे लिया गया। जिसको बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

श्रीमती मुन्नीदेवी पत्नी स्व0 जानकी निवासी ग्राम लखनापुर थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 50 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः –

1. मु0अ0सं0 584/2024 धारा 191(2)/190/115(2)/103(1)/3(5)/238/333 बीएनएस थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तारी टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह बालियान थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. म0का0 2852 जूली चौधरी थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर